

**मांग संख्या 07**  
**मुख्य शीर्ष 2030**

**मद क्रमांक 1**

वाणिज्यिक कर विभाग के अन्तर्गत महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक अधीक्षक कार्यालय में स्टाम्पों के मुद्रण एवं परिवहन हेतु रुपये 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2039**

**मद क्रमांक 2**

वाणिज्यिक कर विभाग के अन्तर्गत आबकारी विभाग में होलोग्राम का क्रय हेतु रुपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2040**

**मद क्रमांक 3**

वाणिज्यिक कर अधिकरण के अन्तर्गत वेतन भत्ते हेतु रुपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा । इस हेतु आकस्मिकता निधि से रूपये 100 स्वीकृत किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

वाणिज्यिक कर विभाग के अन्तर्गत जिला स्थापना चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 7.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 7,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5**

वाणिज्यिक कर विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय स्थापना में यात्रा व्यय हेतु रूपये 800 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 6**

वाणिज्यिक कर विभाग के अन्तर्गत न्यायालयीन प्रकरण में पैरवी के लिये अधिवक्ताओं को भुगतान हेतु रुपये 7.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।